

क्रम
शुंर

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई
कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहितन्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-69/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1) (A) के अंतर्गत
पनबसिया देवी—विक्रेता
प्रति
श्री उमेश सिंह एवं अन्य—क्रेता

—आदेश—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता पनबसिया देवी, पिता-विदेशी सिंह, पति-अयोध्या सिंह, ग्राम-होन्हे कला, पोस्ट-रंका, थाना-रंका, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता 1. श्री उमेश सिंह, 2. श्री रमेश सिंह, दोनों के पिता-चरकु सिंह, ग्राम-होन्हे कला, पोस्ट-रंका, थाना-रंका, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी रंका के पत्रांक 478/दिनांक 28.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के माता एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेतागण जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना रंका एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त हैं प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के दखल-कब्जे में है

अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदिका/विक्रेता पनबसिया देवी, पिता-विदेशी सिंह, पति-अयोध्या सिंह, ग्राम-होन्हे कला, पोस्ट-रंका, थाना-रंका, जिला-गढ़वा ने क्रेता 1. श्री उमेश सिंह, 2. श्री रमेश सिंह, दोनों के पिता-चरकु सिंह, ग्राम-होन्हे कला, पोस्ट-रंका, थाना-रंका, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।


—भूमि का विवरण—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
होन्हे कला	66	62	801	0.32	उ०-रास्ता, द०-नीज, पू०-फजीहत सिंह, प०-रामदयाल सिंह,
		62	802	0.02	उ०-जग्रनाथ सिंह, द०-रामवृक्ष सिंह, पू०-नीज, प०-सिवान बरवाडीह,
		62	803	0.09	उ०-नीज, द०-रामवृक्ष सिंह, पू०-फजीहत सिंह, प०-नीज,
		62	804	0.06	उ०-नीज, द०-नीज, पू०-फजीहत सिंह, प०-नीज,
		62	795	$\frac{2}{3}$	उ०-रामदयाल सिंह, द०-जग्रनाथ सिंह, पू०-रास्ता, प०-बिहार सरकार,
		62	797	$\frac{2}{3}$	उ०-फजीहत सिंह, द०-बिहार सरकार, पू०-रामदयाल सिंह, प०-बिहार सरकार,
		62	798	$\frac{1}{6}$	उ०-फजीहत सिंह, द०-बिहार सरकार, पू०-रामदयाल सिंह, प०-जग्रनाथ सिंह,
		62	70	0.08	उ०-बिहार सरकार, द०-बिहार सरकार, पू०-जग्रनाथ सिंह, प०-सिवान बरवाडीह,


होन्हे कला	66	62	71	$0.06\frac{1}{2}$	उ०-बिहार सरकार, द०-बिहार सरकार, पू०-फजीहत सिंह, प०-रामदयाल सिंह,
		62	851	$0.39\frac{1}{3}$	उ०-जग्रनाथ सिंह, द०-बिहार सरकार, पू०-फजीहत सिंह, प०-जमदार सिंह,
		62	822	$0.04\frac{1}{6}$	उ०-फजीहत सिंह, द०-रास्ता, पू०-पाहुन सिंह, प०-फजीहत सिंह,
		09	77	$0.29\frac{2}{3}$	उ०-बिहार सरकार, द०-सिवान बरवाडीह, पू०-जग्रनाथ सिंह, प०-बिहार सरकार,
		09	853	$0.36\frac{2}{3}$	उ०-रामवृक्ष सिंह, द०-जमादार सिंह, पू०-जग्रनाथ सिंह, प०-जमादार सिंह,
कुल रकबा:-				$2.14\frac{1}{3}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

 . 01.11.23

अपर समाहर्ता,
गढ़वा।

 . 01.11.23

अपर समाहर्ता,
गढ़वा।